पंजीकृत

उत्तराखण्ड शासन

UTTARAKHAND

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत

Ph. No. 05966-220679 E-mail – eepdrani@yahoo.com

पत्रांक 1804 / 36सी दिनांक रानीखेत 29/08,2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषय :– जनपद अल्मोड़ा में न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) रानीखेत अल्मोड़ा के भवनों के निर्माण हेतु 0.98 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव संख्या–FP/UK/OTHER/150277/2022)।

सन्दर्भ :– भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्र संख्या–8बी./यू.सी.पी./06/19/2022/एफ.सी. दिनांक 26.03.2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्न शर्तो पर प्रदान की गयी है, जिसकी अनुपालन आख्या विधिवत् स्वीकृति हेतु प्रेषित की जा रही है, जो निम्नवत् है :–

क्र. सं.	शर्त	अनुपालन आख्या
1	2	3
(क) राज्य वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता एजेंसी को वन भूमि सौपने से पूर्व जिन शर्तो का पालन करना आवश्यक है।		
1-	प्रतिपूरक वनीकरण :	
(क)	प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर विभाग द्वारा 1.96 है0 वन पंचायत भूमि, डोरब, तहसील रानीखेत में 2156 पौधों का रोपण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें।	लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा की गयी क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 1.96 है0 ग्राम डौरब, तहसील रानीखेत की वन पंचायत भूमि में वन विभाग द्वारा 2156 पौधो का पौधारोपण किया जाएगा। पौधारोपण स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों का किया जाएगा। एकल प्रजाति के वृक्षों का पौधारोपण नहीं किया जाएगा।
(ख)	प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एफ0एल0 फाईल, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एम0एम0सी0 कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को राज्य सरकार द्वारा अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।	लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र के0एफ0एल0 फाईल व क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र की एस0एम0सी0 कार्य प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र तथा डब्लू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को नोडल अधिकारी, देहरादून द्वारा अपने स्तर से कार्य करने की अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वाच पोर्टल पर अपलोड कर भारत सरकार को प्रषित किया जाएगा।
2-	शुद्ध वर्तमान मूल्य	
(क)	इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ.सी. (Pt 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 एवं 06.01.2022 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.98 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	लोक निर्माण विभाग द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ.सी. (Pt 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 एवं 06.01.2022 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.98 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए एन0पी0वी0 की शुद्ध धनराशि ₹ 1266993.00 लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा कर दी गयी। जमा रसीद संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

क्रमशः पेज–2 पर

Scanned with OKEN Scanner

(ख)	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लोक निर्माण विभाग में प्रत्यावर्तित वन भूमि के एन0पी0वी0 के वर्तमान शुद्ध मूल्य में कोई बढोतरी या अतिरिक्त धनराशि की मांग की जाती है तो लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा की जाएगी शपथ पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।
3–	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेडों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जोकि प्रस्ताव के अनुसार 41 वृक्षों (जिसमें 3 saplings है) से अधिक नहीं होगी एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि में प्रभावित 41 वृक्षों के सापेक्ष 41 वृक्षों का पातन वन विभाग के निगरानी में किया जाएगा। वृक्षो के पातन की धनराशि वन विभाग के खाते में जमा की जायेगी।
4–	This in-principle approval is subject to the final outcome w.r.t. Hon'ble Supreme Court Orders in the CWP (C) No 1164/2023 dated 03.02.2025.	लोक निर्माण विभाग द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों सी.डब्लू.पी. (सी.) संख्या 1164/2023 दिनांक 03.02.2025 का पालन किया जाएगा।
5–	The User Agency shall submit n undertaking that the construction area will not increase over the proposed layout plan and rest of the area shall be developed/maintained as a green space. Plantation shall be raised in consultation with State Forest Department in the green belt area and cost of raising the plantation would be borne by the User Agncy.	लोक निर्माण विभाग द्वारा अनावासीय भवनों का निर्माण स्वीकृत स्थल में ही किया जाएगा। पौधों का पौधारोपण वन विभाग के परामर्श से किया जाएगा वचन बद्धता प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।
6-	The User Agency shall submit an undertaking that no muck shall be disposed off in forest area.	लोक निर्माण विभाग द्वारा अनावासीय भवनों के निर्माण से उत्सर्जित मलुवा को मक डिस्पोजल क्षेत्रों में ही डाला जायेगा। वन क्षेत्रों में मलुवा इधर उधर नहीं फेका जाएगा। वचन बद्धता प्रमाण पत्र संलक्न कर प्रेषित किया जा रहा है।
7-	प्रतिपूरक वनीकरण जुटाने के लिए पहचानी गई गैर–वन/सिविल सोयम भूमि को चरण–।। मंजूरी जारी करने से पहले राज्य वन विभाग के पक्ष में स्थानांतरित और परिवर्तित किया जाएगा, यदि लागू हो।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का वन विभाग के नाम हस्तान्तरित वन नामान्तरित कर दिया गया है।
8-	राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं नामांनरित गैर–वन/सिविल योयम भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत या स्थानीय वन अधिनियम, 1927 की प्रासंगिक धारा (ओ) के तह आरक्षित वन या संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। उक्त अधिसूचना चरण–।।/अंतिम अनुमोदन रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाएगी, यदि लागू हो।	लोक निर्माण विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं नामान्तरित गैर वन/सिविल सोयम भूमि को वन अधिनियम 1927 की प्रासंगिक धारा (ओ) के तहत आरक्षित वन या संरक्षित वन घोषित किया जायेगा।
9-	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	वनाधिकार अधिनियम 2006 का पूर्ण अनुपालन जिलाधिकारी महोदय से प्राप्त प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाएगा।
10-	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।	लोक निर्माण विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में जमा कर दी गयी है।
11-	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जाएगी।	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड कर दी गयी है।

क्रमशः पेज–3 पर

Scanned with OKEN Scanner

(ख) राज्य वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता एजेंसी को वन भूमि सौपने के पश्चात् क्षेत्र में शर्तो का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है लेकिन वचन पत्र के रूप में अनुपालन चरण–।। अनुमोदन से पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा।		
1-	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।
2-	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपे जाने के बाद ही वन भूमि सौपे जाएगी।	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि लोक निर्माण विभाग को सौपे जाने के बाद ही वन भूमि सौपे जाएगी, जिसके लिए लो0नि0वि0 विभाग सहमत है।
3-	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के सीमांकन प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान किए जा सकते है।	लो0नि0वि0 द्वारा यदि उच्च स्तर से क्षतिपूरक वृक्षारोपण 10 वर्षो की रख रखाव योजना की मजदूरी दरों में अथवा क्षतिपूरक वृक्षारोपण की लागत एवं सर्वेक्षण व सीमांकन पीलरों की दरों में वृद्धि होती है तो प्रस्ताव विभाग द्वारा उक्त बढी धनराशि को वन विभाग के खाते में जमा की जाएगी।
4-	राज्य वन विभाग द्वारा कार्य की अनुमति देने से पूर्व प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक की टिप्पणियॉ प्राप्त करेगी, यदि लागू हो।	लागू नहीं।
5-	मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक/राज्य वन्यजीव बोर्ड/राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की सभी शर्त, जहां भी लागू को, का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा।	लोक निर्माण विभाग द्वारा मुख्य वनजीव प्रतिपालक/राज्य वन्यजीव बोर्ड/राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की शर्तो का पालन किया जायेगा। उक्त योजना में लागू नहीं है।
6-	The State Forest Department shall prepare Wildlife Mitigation/ Management Plan (WLMP) or Soil and Moisture Conservation Plan (SMCP) at the cost of User Agecny which should be based on the specific field requirements based on the actual cost of the intrventions required to be made at the site and not based on the indicative financial outlay totaling ot 2% (for WLMP) or 0.5% (for SMCP) of the total project cost.	वन विभाग, लोक निर्माण विभाग की लागत पर वन्यजीव समन/प्रबंधन योजना (WLMP) या मृदा एवं नयी संरक्षण योजना (एस0एम0सी0पी0) तैयार करेगा, जो साइट पर किये जाने वाले आवश्यक हस्तक्षेपों की वास्तविक लागत के आधार पर विशिष्टि क्षेत्र आवश्यकताओं पर आधार पर 2% (for WLMP) or 0.5% (for SMCP) वित्तीय परिव्यय पर आधारित होगी।
7-	नवनीतम वन (संरक्षण) नियम 28.06.2022 के अनुसार, पांचवे वर्ष में न्यूनतम कैनोपी धनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिवक्व वृक्षारोपण (mature plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए।	लोक निर्माण विभाग द्वारा नवीनतम वन (संरक्षण) नियम 28.06. 2022 के अनुसार, पांचवे वर्ष में न्यूनतम कैनोपी धनत्व कम से कम 0.4 है और परिवक्व वृक्षारोपण (mature plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना है जिसका लो0नि0वि0 द्वारा पालन किया जाएगा।
8-	वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेंगे।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्वीकृत स्थल को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के किसी भी परिस्थिति में नही बदला जाएगा।
9-	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 लागू नहीं है।
10-	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	लोक निर्माण विभाग द्वारा किसी भी स्थिति में केंद्र सरकार के अनुमति के बिना ले–आउट प्लान नहीं बदलेगा।
11-	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	लोक निर्माण विभाग द्वारा वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
12-	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निमम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा।	लोक निर्माण विभाग द्वारा मजूदरों को वन विभाग व वन विकास निगम से ईधन नहीं दिया जायेगा वैकल्पिक ईधन अन्य स्रोत से दिया जायेगा।

क्रमशः पेज–4 पर

Scanned with OKEN Scanner

13-	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	लोक निर्माण विभाग द्वारा योजना के निर्माण सामग्री ले जाने के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई भी अतिरिक्त नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।
14-	संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हो।	लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को योजना की लागत पर आर.सी. सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन कर दिया गया है। उन पर Forward/Backward bearings अंकित किया गया है।
15-	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग प्रस्ताव में निदिर्ष्टि प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा।
16-	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	लोक निर्माण विभाग द्वारा केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
17-	पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी।	लोक निर्माण विभाग को पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी।
18-	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह आवश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	लोक निर्माण विभाग द्वारा उत्सर्जित मलुवे का मड डिस्पोजल निर्माणाधीन स्थल पर ही समायोजित किया जाएगा। आवश्यक रूप से निर्माणाधीन स्थल से नीचे नहीं गिराया जाएगा।
19-	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	परियोजना में अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेछ/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश प्रस्ताव में लागू नहीं है।
20-	प्रयोक्ता अभिकरण तथा राज्य सरकार इस परियोजना से संबंधित सभी अधिनियमों, नियामें, विनियमों, दिशानिर्देशों, माननीय न्यायालय आदेश (आदेशों) एवं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के आदेश (आदेशों) के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी, यदि लागू हो।	प्रयोक्ता अभिकरण तथा राज्य सरकार इस परियोजना से संबंधित सभी अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, माननीय न्यायालय आदेश (आदेशों) एवं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के आदेश (आदेशों) के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी, यदि लागू हो। लोक निर्माण विभाग द्वारा से सम्बन्धित सभी अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, माननीय न्यायालय आदेश (आदेशों) एवं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के आदेश (आदेशों) के प्रावधानों का पालन करेगा। इस योजना में लागू नही।
21-	उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा एवं वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 के अन्तर्गत निर्धारित कार्रवाई की जाएगी।	उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा एवं वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 के अन्तर्गत निर्धारित कार्रवाई की जाएगी। लोक निर्माण विभाग द्वारा किसी भी शर्त का उलंघन नहीं किया जायेगा। शर्त का उलंघन वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा एवं वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 के अन्तर्गत विभाग पर कार्यवाही की सकती है।

क्रमशः पेज–5 पर

Scanned with OKEN Scanner

अतः विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की अनुपालन आख्या विधिवत् स्वीकृति हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्न :– **उपरोक्तानुसार।**

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत।

पत्रांक 1804/36सी. तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता(प्रथम), प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत।

Scanned with OKEN Scanner

Help

Online payment history made by User Agency under CAMPA

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UK/Others/150277/2021 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/Others/150277/2021) Construction of judiciary building in Ranikhet	OTHERS150277202130019915027730026 Mar 2025			**CA:** 0/- , **Addl CA :** 0/- **PCA:** 0/- , **CAT :** 0/- **Safety Zone:** 0/- , **Addl PA :** 0/- **NPV:** 0/- , **Waild life management amount :** 700000/- **S M C plan amount :** 175000/- **Other Charges2 :** 0/- **Other Charges3 :** 0/- **Total :** 875000/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** : 13 Oct 2025 **Bank Name** : Union Bank Of India **Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** : 15 Oct 2025 **Transaction Date** : 12 Nov 2025	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/270920251449508557_FPUKOthers Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=OTI
2	FP/UK/Others/150277/2021 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/Others/150277/2021) Construction of judiciary building in Ranikhet	OTHERS150277202148719915027748726 Mar 2025			**CA:** 1064353/- , **Addl CA :** 0/- **PCA:** 0/- , **CAT :** 0/- **Safety Zone:** 0/- , **Addl PA :** 0/- **NPV:** 1266993/- , **Other Charges :** 0/- **Other Charges1 :** 0/- **Other Charges2 :** 0/- **Other Charges3 :** 0/- **Total :** 2331346/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** : 12 Jun 2025 **Bank Name** : Union Bank Of India **Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** : 12 Jun 2025 **Transaction Date** : 23 Jun 2025	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/10062025132607860 4_FPUKOthers Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=OTI

Scanned with OKEN Scanner

प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :— जनपद अल्मोड़ा में न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) रानीखेत अल्मोड़ा के भवनों के निर्माण हेतु 0.98 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव संख्या–FP/UK/OTHER/150277/2022)।

प्रमाणित किया जाता है कि विभाग द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 1.96 है0 ग्राम डौरब, तहसील रानीखेत की वन पंचायत भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण 10 वर्षो की रख रखाव योजना की धनराशि ₹ 1064353.00 जमा कर दी गयी है।

अपर सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

Scanned with OKEN Scanner

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद अल्मोड़ा में न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) रानीखेत अल्मोड़ा के भवनों के निर्माण हेतु 0.98 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव संख्या–FP/UK/OTHER/150277/2022)।

प्रमाणित किया जाता है कि सक्षम स्तर से एन0पी0वी0 वर्तमान मूल्य की बढोतरी हुई तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त एन0पी0वी0 लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा की जायेगी।

अपर सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

Scanned with OKEN Scanner

प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद अल्मोड़ा में न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) रानीखेत अल्मोड़ा के भवनों के निर्माण हेतु 0.98 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव संख्या–FP/UK/OTHER/150277/2022)।

प्रमाणित किया जाता है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007/एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत एन0पी0वी0 की निर्धारित धनराशि रू 1266993.00 जमा कर दी गयी है।

अपर सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

Scanned with OKEN Scanner

प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद अल्मोड़ा में न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) रानीखेत अल्मोड़ा के भवनों के निर्माण हेतु 0.98 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव संख्या–FP/UK/OTHER/150277/2022)।

प्रमाणित किया जाता है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा भवनों का निर्माण प्रत्यावर्तित स्थल में ही किया जायेगा तथा पौधों का पौधारोपण वन विभाग के परामर्श से किया जायेगा।

अपर सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

Scanned with OKEN Scanner

प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद अल्मोड़ा में न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) रानीखेत अल्मोड़ा के भवनों के निर्माण हेतु 0.98 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव संख्या–FP/UK/OTHER/150277/2022)।

प्रमाणित किया जाता है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा भवनों का निर्माण से उत्सर्जित मलुवा का समायोजन निर्माण स्थल को समतलीकरण में समायोजित किया जाएगा। मलुवा वन क्षेत्रों में इधर उधर नहीं फेका जाएगा।

अपर सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत	सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत	अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत

Scanned with OKEN Scanner

प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद अल्मोड़ा में न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) रानीखेत अल्मोड़ा के भवनों के निर्माण हेतु 0.98 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव संख्या–FP/UK/OTHER/150277/2022)।

प्रमाणित किया जाता है कि विभाग द्वारा वाईल्ड लाईफ मैनेजमेंण्ट हेतु देय धनराशि ₹ 700000.00 तथा एस0एम0सी0 प्लान हेतु ₹ 175000.00 कुल ₹ 875000.00 जमा दी गयी है।

अपर सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत	सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत	अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत

Scanned with OKEN Scanner